

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की राय के अनुसार Rajasthan Transparency Public Procurement Act(RTPP) अधिनियम 2012 की धारा 3(2)(d) के अन्तर्गत आर.के.सी.एल. उपापन (Procuring Entity) संस्था है। RTPP Rule 11 के अन्तर्गत आर.के.सी.एल. के प्रशासनिक वित्तीय अधिकार मैनेजिंग डायरेक्टर में निहित है। अतः उक्त अधिनियम एवं नियमों के परिपेक्ष्य में निम्न सदस्यों की कमेटी को उपापन संस्था के रूप में संयुक्त रूप से घोषित किया जाता है:-

1. श्री रविन्द्र शुक्ला, मैनेजिंग डायरेक्टर
2. श्री दिनेश खण्डेलवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी
3. श्रीमति मधु राठी, कम्पनी सेक्रेटी

उक्त कमेटी के माध्यम से समस्त प्रोक्योरमेन्ट का कार्य मैनेजिंग डायरेक्टर के अन्तिम अनुमोदन के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।

RTPP Rules 2013 के नियम 3 के अन्तर्गत निम्न सदस्यों की प्रोक्योरमेन्ट कमेटी का गठन किया जाता है:-

- 1- Shri Dinesh Khandelwal (Chief Finance Officer) ----- Chairperson
- 2- Smt. Madhu Rathi (Company Secretary) ----- Member Secretary
- 3- Account Executive

अतिरिक्त सदस्य के रूप में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को कमेटी के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है:-
उक्त कमेटी निम्न प्रयोजन के लिये बनाई जाती है:-

- बोली दस्तावेज तैयार करना
- बोलियों को खोलना
- बोलियों का मूल्यांकन
- संविदा का अनुश्रवण
- मौके पर क्रय
- प्रतियोगी बातचीत
- उपापन से संबंधित कोई अन्य प्रयोजन, जैसा उपापन संस्था द्वारा विनिश्चित किया जाये।

कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.के.सी.एल. के अनुमोदन के अध्याधीन होगा।
उक्त विषय के सम्बन्ध में पूर्व में पारित समस्त आदेश निरस्त समझे जावें।

आज्ञा से


प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड

प्रतिलिपि:- मुख्य वित्तीय अधिकारी / कम्पनी सेक्रेटी / सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / Sr. Account Executive

01ST August 2016

Office Order

Sub:- Re Constitution of Procuring Committee

Ref- Earlier office Order DT. 01 April, 2015

As per Rule 3 of provision of RTPP Rule 2013 Mr. Narendra Dhayal is nominated as Member Secretary in place of Mrs. Madhu Rathi. She will be a member of Procuring Committee. The reconstituted Procuring Committee shall be as follows:-

- 01 Shri Dinesh Khandelwal (C.F.O.), Chairperson**
- 02 Smt. Madhu Rathi, Member**
- 03 Vinod Jaiswal, Sr. Accounts Executive, Member**
- 04 Mr. Narendra Dhayal, Member Secretary**

As additional member, the concerning Department Head may be called as invitee member.

Rest all the terms and reference same shall as per office order DT. 1st April, 2015

By Order of



(Ravindra Shukla)

Managing Director



- CC-**
- 01. Chairman of the Committee**
 - 02. All Committee Members**
 - 03. Procuring Entity**
 - 04. All Departments Heads**